



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05112024-258447
CG-DL-E-05112024-258447

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4411]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 5, 2024/कार्तिक 14, 1946

No. 4411]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 5, 2024/KARTIKA 14, 1946

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2024

का.आ. 4792(अ).—जबकि, केंद्र सरकार ने अधोल्लिखित क्षेत्र के संबंध में, दिल्ली मुख्य योजना (एमपीडी)-2021/ जोन 'डी'-2021 की क्षेत्रीय विकास योजना (जेडडीपी) में कतिपय संशोधन करने का प्रस्ताव किया है जो दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के उपबंधों के अनुसार उक्त नोटिस की तिथि से तीस दिनों के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 27.10.2023 के सार्वजनिक नोटिस द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किए गए थे।

2. चूंकि, निर्धारित समयावधि में भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः जांच एवं सुनवाई बोर्ड की बैठक अपेक्षित नहीं थी।

3. जबकि, केंद्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मुख्य योजना - 2021/जोन-'डी'-2001 के क्षेत्रीय विकास योजना को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

4. अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा उपर्युक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021/जोन 'डी'- 2001 की क्षेत्रीय विकास योजना में भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :

ज़ोन-डी में आने वाली भूमि के निम्नलिखित क्षेत्र का भूमि उपयोग नीचे सूचीबद्ध विवरण के अनुसार बदला गया है:

स्थान	क्षेत्रफल	भूमि उपयोग दिल्ली मुख्य योजना (एमपीडी)-2021 और जोन डी की क्षेत्रीय विकास योजना (जेडडीपी) के अनुसार	भूमि उपयोग में बदलाव	सीमाएं
1	2	3	4	5
पॉकेट-III, राउज एवेन्यू, डीडीयू मार्ग पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का प्रस्तावित कार्यालय जो कि जोन-डी योजना क्षेत्र में आता है.	868वर्ग मीटर	एमपीडी-2021 के अनुसार - 'आवासीय ' एम.पी.डी.-2001 के अंतर्गत तैयार जोन-डी की अनुमोदित क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार- 'आवासीय (पुनर्विकास क्षेत्र)'	'सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं'	उत्तर: प्रस्तावित नर्सरी स्कूल और 30.48 मीटर आरओडब्ल्यू रोड दक्षिण : प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय पूर्व : प्रस्तावित सड़क 20 मीटर आरओडब्ल्यू और ग्रीन (खेल क्षेत्र) पश्चिम: प्रस्तावित डिस्पेंसरी

[फा .सं. के-13011/9/2014-डीडी-1]

उपेन्द्र कुमार तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2024

S.O. 4792(E).—Whereas, certain modification which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi (MPD)-2021/ Zonal Development Plan (ZDP) of Zone 'D'-2001, regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice dated 27.10.2023 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/ suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas, no objections/ suggestions have been received within the stipulated time period, therefore the meeting of Board of Enquiry and Hearing was not required.

3. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi -2021/ Zonal Development Plan of Zone-'D'-2001.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021/ Zonal Development Plan of Zone 'D'- 2001 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

The land use of the following area of land falling in Zone-D is changed as per the description listed below:

Location	Area	Land use as per MPD 2021/ ZDP of Zone 'D' 2001	Land use Changed to	Boundaries
----------	------	--	---------------------	------------

1	2	3	4	5
Proposed office of Communist Party of India (Marxist) at Pocket-III, Rouse Avenue, DDU Marg falling in Planning Zone-D	868 sq.mt.	As per MPD-2021-‘Residential’ As per the approved Zonal Development Plan of Zone-D, prepared under MPD-2001- ‘Residential (Redevelopment Area)’	‘Public & Semi-Public Facilities’	North: Proposed Nursery School & 30.48 M ROW Road South: Proposed Primary School East: Proposed Road 20m ROW & Green (Play Area) West: Proposed Dispensary

[F. No. K-13011/9/2014-DD-I]

UPENDRA KUMAR TIWARI, Under Secy.